न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 171/2024

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र स्व0 सहीराम जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर।

– **वादी**

बनाम्

1. अमीचन्द पुत्र स्व0 सहीराम जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर।
2. अजय कुमार पुत्र स्व0 सुल्तान जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर।
3. केसर देवी पत्नी स्व0 सुल्तान जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर।
4. रजनी पुत्री सुल्तान जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर।
5. गुडडी
6. गिरदावरी
7. गीता देवी
8. सरवती देवी उर्फ रामी
9. मिन्दो उर्फ महेन्द्रो
10. सन्तरो देवी
11. सन्तोष

(5 से 11:) पुत्रीयान स्व0 सहीराम जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर

12. पप्पूराम पुत्र कृष्णा देवी उर्फ पारसी पुत्री स्व0 सहीराम जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 08/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 114/115 की कुल 8.4350 हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि सहीराम पुत्र मुंशीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सहीराम पुत्र मुंशीराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है सहीराम पुत्र मुंशीराम का देहान्त हो चुका है तथा सहीराम पुत्र मुंशीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 12 है जो सहीराम पुत्र मुंशीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। सहीराम की पत्नी शान्ति देवी तथा एवं पुत्री कृष्णा [illegible] पप्पूराम एवं पप्पूराम का एक लड़का सुल्तान भी फौत हो चुका है। [illegible] अपना हक हिस्सा जरिये दस्तबरदारी त्याग कर चुके है एवं [illegible] ने भी अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 114/115 की कुल 8.4350 हैक्ट भूमि में सहीराम पुत्र मुन्शीराम के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:15 IST
Reason: SelfAttested

1/6 भूमि में वादी अकेला 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/18 हिस्सा भूमि पर काबिज है एवं मृतक सहीराम पुत्र मुन्शीराम का नाम कलमजन करवाकर इसी आशय की न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 114/115, मृत्यु प्रमाण सहीराम, मृत्यु प्रमाण पत्र शान्ति देवी, मृत्यु प्रमाण पत्र सुल्तान, मृत्यु प्रमाण पत्र कृष्णा देवी तथा शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता सहीराम पुत्र मुंशीराम का देहान्त हो चुका है तथा सहीराम पुत्र मुंशीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 12 है जो सहीराम पुत्र मुंशीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। सहीराम की पत्नी शान्ति देवी तथा एवं पुत्री कृष्णा देवी तथा एक लडका पप्पूराम एवं पप्पूराम का एक लड़का सुल्तान भी फौत हो चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 5 व 12 ने अपना हक हिस्सा जरिये दस्तबरदारी त्याग कर चुके है एवं प्रतिवादी स0 3 ता 4 ने भी अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 114/115 की कुल 8.4350 हैक्ट भूमि में सहीराम पुत्र मुन्शीराम के नाम दर्ज 1/6 भूमि में वादी अकेला 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/18 हिस्सा भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को [illegible] किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के [illegible] है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 114/115 की कुल 8.4350 हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि सहीराम पुत्र मुंशीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता सहीराम पुत्र मुंशीराम का देहान्त हो चुका है तथा सहीराम पुत्र मुंशीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 12 है जो सहीराम पुत्र मुंशीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। सहीराम की पत्नी शान्ति देवी तथा एवं पुत्री कृष्णा देवी तथा एक लडका पप्पूराम एवं पप्पूराम का एक लड़का सुल्तान भी फौत हो चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 5 व 12 ने अपना हक हिस्सा जरिये दस्तबरदारी त्याग कर चुके है एवं प्रतिवादी स0 3 ता 4 ने भी अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 114/115 की कुल 8.4350 हैक्ट भूमि में सहीराम पुत्र मुन्शीराम के नाम दर्ज 1/6 भूमि में वादी अकेला 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/18 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए सहमति/ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 114/115 की कुल 8.4350 हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि में सहीराम पुत्र मुन्शीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी , प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2024 को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:15 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 171/2024

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र स्व0 सहीराम जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर।

– **वादी**

बनाम्

1. अमीचन्द पुत्र स्व0 सहीराम जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर।
2. अजय कुमार पुत्र स्व0 सुल्तान जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर।
3. केसर देवी पत्नी स्व0 सुल्तान जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर।
4. रजनी पुत्री सुल्तान जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर।
5. गुडडी
6. गिरदावरी
7. गीता देवी
8. सरवती देवी उर्फ रामी
9. मिन्दो उर्फ महेन्द्रो
10. सन्तरो देवी
11. सन्तोष

(5 से 11) पुत्रीयान स्व0 सहीराम जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर

12. पप्पूराम पुत्र कृष्णा देवी उर्फ पारसी पुत्री स्व0 सहीराम जाति भाट निवासी ब्राहमणवासी तहसील नोहर हाल निवासी चक 5 सीसी तहसील पदमपुर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 171 सन 2024 निर्णय दिनांक - 08/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 114/115 की कुल 8.4350 हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि में सहीराम पुत्र मुन्शीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:15 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर